

**दिशा आरोग्य धाम आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एवं रिसर्च सैन्टर के साथ पार्टनर समझौता
(FICO And FIFO Model)**

दिशा आरोग्य धाम, राजस्थान राज्य में वर्ष 2018 से एक पंजीकृत कम्पनी है। आज दिनांक
को दिशा आरोग्य धाम एवम् के
मध्य जिनकी जन्म-तिथि, है तथा निवासी
.....जिनका
टेलीफोन नम्बर: मोबाईल नम्बर: तथा आधार कार्ड
नम्बर पैन नम्बर: पंजीकृत है।

विवरण

कंपनी के पास सेवा चिह्न "दिशा आरोग्य धाम" आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय" के लिये अधिकृत है और इसने स्वास्थ्य की देखभाल करने के पेशे में संचालन की एक प्रणाली तैयार कर इसे विकसित किया गया है जो सफल और लोकप्रिय है और इसने मानव मात्र में उपचार के क्षेत्र में काफी सद्भावना अर्जित की है।

पार्टनर कंपनी द्वारा विकसित व्यवसाय संचालन प्रणालियों के अनुसार "दिशा आरोग्य धाम आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एवं रिसर्च सैन्टर" नाम (पार्टनर) के तहत एक साझेदारी आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय और DAD Mart Store को संचालित करने की क्षमता रखता है और "इसका लाभ उठाने के लिए" और तदोपरान्त निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के नाम, जानकारी और सद्भावना से लाभान्वित।

कंपनी इसके द्वारा यहां निर्दिष्ट पार्टनर को सेवा चिह्न दिशा आरोग्य धाम आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एवं रिसर्च सैन्टर और कंपनी के लोगो और ट्रेडमार्क, बिजनेस स्लोगन, अकाउंटिंग और रिकार्ड कीपिंग सिस्टम का उपयोग करने का विशेष अधिकार देती है। प्रशिक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम, वित्तपोषण, खरीद और इन्वेंट्री जानकारी, सिस्टम, और "दिशा आरोग्य धाम - आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय" आपरेशन के संबंध में उपयोग की जाने वाली या लागू होने वाली अन्य प्रक्रियाएं और रूप, इन सभी का उपयोग किया

जाएगा। खुदरा आयुर्वेद फार्मसी स्टोर के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित स्थान पर नैदानिक सेवाएं प्रदान की जायेगी।

इसमें कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और दूसरे भाग के अनुमत प्रतिनिधि, प्रत्येक एक पक्ष और सामूहिक रूप से पार्टियों के रूप में संदर्भित शामिल माने जाएंगे। उपरोक्त दोनों पक्षों ने अपने संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक भागीदारी समझौते में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

डी.ए.डी. आयुर्वेद, दिशा आरोग्य धाम समूह का एक अभिन्न अंग है जो स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहा है। दिशा आरोग्य धाम, निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एवम् रिटेल आउटलेट के लिए अपना अधिकृत भागीदार नियुक्त करेगा :

- जबकि कंपनी ने डीएडी नाम से अपना आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय विकसित किया है - जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा, कच्ची जड़ी-बूटियों, जैविक उत्पाद, सामान्य उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धित देखभाल, उन्मुख सेवाएं (डाक्टर, नैदानिक सेवाएं आदि) प्रदान करने के लिए एक श्रृंखला दिशा आरोग्य धाम के नाम और शैली के तहत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय बैनर और कंपनी की रणनीतियों और प्रणाली का उपयोग करना, जबकि कंपनी का नाम दिशा आरोग्य धाम है। संबंधित 'लोगो' और चिह्न हैं, जैसा कि इस समझौते में पूरी तरह से वर्णित है। जबकि, कंपनी और पार्टनर के बीच, कंपनी दिशा आरोग्य धाम डी.ए.डी. आयुर्वेद से जुड़ी सभी सद्भावना की एकमात्र और अनन्य मालिक है, पार्टनर ने भी इस पर सहमति जताई और स्वीकार किया है।
- जबकि पार्टनर सिस्टम के अनुरूप उपस्थिति, छवि, उत्पादों, सेवाओं और ग्राहक संबंधों के मानकों और एकरूपता को बनाए रखने के फायदे और मूल्य को पहचानता है क्योंकि कंपनी समय-समय पर इसे उचित रूप से संशोधित कर सकती है, जबकि पार्टनर दिशा आरोग्य धाम से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के मालिक होने से जुड़े जोखिम, व्यवसाय और अन्य चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है और उसने राजस्व, लाभ या संभावना के संबंध में कंपनी या कंपनी के एजेंटों के किसी भी प्रतिनिधित्व पर भरोसा किए बिना उन जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है। सफलता की, केवल उन अभ्यावेदन और कंपनी के भागीदार प्रकटीकरण दस्तावेज में निहित सावधानियों को छोड़कर राजस्व, लाभ या सफलता की संभावना मुख्य रूप से कंपनी के नियंत्रण से परे के कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें भागीदार के कौशल, व्यक्तित्व, परिश्रम और समर्पण और सामान्य क्षेत्रीय और स्थानीय आर्थिकी अथवा जन-सांख्यिकीय स्थितियाँ शामिल हैं।
- जबकि कंपनी, भागीदार के अभ्यावेदन पर भरोसा करते हुए, कुछ प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करने को तैयार है, लेकिन केवल इस समझौते की शर्तों पर, जिसे भागीदार समझता है और स्वीकार करता है और दोनों पक्ष उचित और भौतिक मानते हैं;

अब इसलिए, यहां निर्धारित आपसी अनुबंधों और अच्छे और मूल्यवान विषयों पर विचार करने के लिए, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता प्रत्येक पक्ष इसके द्वारा स्वीकार करता है, और यह कि प्रत्येक पक्ष इस समझौते

के द्वारा कानूनी रूप से पाबन्द होने का पूरी तरह से इरादा रखता है, कंपनी और भागीदार पारस्परिक रूप से सहमत हैं जो इस प्रकार है :-

अनुच्छेद 1. लाइसेंस और प्रणाली

1.01. पार्टनर लाइसेंस का अनुदान

इस समझौते के नियमों और शर्तों के अधीन, कंपनी पार्टनर को 5 साल की अवधि के लिए नाम, प्रणाली और चिह्नों का उपयोग करके दिशा आरोग्य धाम के आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय और डी.ए.डी. मार्ट स्टोर को संचालित करने के लिए एक गैर-विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करती है। इस समझौते की प्रभावी तिथि से और उसके बाद पार्टनर स्वयं के शोध और ज्ञान के आधार पर, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 15 दिनों के भीतर पारस्परिक रूप से एक उपयुक्त स्थान का चयन करेगा और उस स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। पार्टनर पूर्व लिखित सूचना और कंपनी की पूर्व-स्वीकृति के बिना पार्टनर आउटलेट स्टोर को स्थानांतरित नहीं करेगा।

1.02. दिशा आरोग्य धाम

आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय पार्टनर के स्थान का उपयोग करेगा, निर्धारित मानक के अनुसार डिजाइन, संशोधन करेगा और पार्टनर के किसी भी हस्तक्षेप के बिना पांच साल तक गतिविधियों को संचालित करेगा। पार्टनर मासिक बिजली बिल, पानी, संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस समझौते के परिणामस्वरूप साझेदार को मासिक वाणिज्य हिस्सेदारी मिलेगी जैसा कि अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है।

1.03. स्थान और क्षेत्र

दिशा आरोग्य धाम द्वारा इस समझौते के हिस्से के रूप में भागीदार एक विशेष क्षेत्रीय विशिष्टता में कंपनी के स्थान, चिह्नों और प्रणाली का उपयोग करने के लिए विशेष एकाधिकार अधिकार प्रदान करता है - आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय और कंपनी व्यक्तियों, कंपनियों को ऐसा अधिकार दे सकती है। इस भागीदार के परिसर के 50 कि.मी. की परिधि के बाहर, भागीदार के अलावा किसी को भी कहीं भी उत्पाद/सेवाएँ बेचने के लिए लाइसेन्स प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 2 (ए) भागीदार सुरक्षा शुल्क, मार्जिन, लाभ, वापसी नीति और क्षेत्र विशिष्टता।

दिशा आरोग्य धाम आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एवं रिसर्च सेंटर के लिए प्रारंभिक भागीदार शुल्क का उल्लेख निम्नानुसार है :

2.01 दिशा आरोग्य धाम (डीएडी आयुर्वेदा) क्लिनिक और डीएडी मार्ट

पहला भुगतान (साझेदार शुल्क: 50,000/- + GST (18%) = 59,000/-) +(आंतरिक/बाहरी सेट अप: 5,00,000) + = रु. 5,59,000/- - दिनांक

दूसरा भुगतान (ब्रांडिंग/मार्केटिंग/कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर : 2,10,000/-) + (प्रारंभिक स्टॉक : 2,00,000/-) = रु 4,10,000/- दिनांक

2.02 दिशा आरोग्य धाम जिला केन्द्र

पहला भुगतान (साझेदार शुल्क: 1,00,000 + GST (18%) = 1,180,00) + (आंतरिक/बाहरी सेटअप: 10,00,000/-) + = रु 11,18,000/- दिनांक

दूसरा भुगतान (मशीनें: 4,00,000/- + ब्रांडिंग/मार्केटिंग/कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर : 3,00,000/-) = 7,00,000/- रुपये दिनांक

तीसरा भुगतान (प्रारंभिक स्टॉक : 5,00,000/-) - दिनांक

चौथा भुगतान (स्टॉक सिक्वोरिटी: 2,00,000/-) पीडीसी चेक नंबर

उपरोक्त भागीदार अनुबंध शुल्क गैर-वापसी योग्य है। सभी शुल्क का भुगतान दिशा आरोग्य धाम फाउंडेशन के पक्ष में पीडीसी चेक के साथ एक बार में डीडी/एन.ई.एफ.टी. (NEFT)/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 2. मार्जिन और लाभ:

1. राजस्व हिस्सेदारी - डी.ए.डी. आयुर्वेदा क्लिनिक/डीएडी मार्ट/डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर कुल बिक्री का 20%

अनुच्छेद 3. खोलने से पहले की बाध्यताएँ

3.01 परिसर और पट्टा

साझेदार लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के लिए स्थान प्रदान करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा जो मैनुअल (इसके बाद "परिसर") का अनुपालन करता है। भागीदार, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले या 30 दिनों के भीतर, लेकिन स्थान का चयन, कंपनी की लिखित मंजूरी के अध्याधीन रहेगा। कंपनी साझेदार के क्षेत्र के भीतर परिसर, प्रस्तावित परिसर और किसी भी ज्ञात वैकल्पिक परिसर के संबंध में उसके पास मौजूद कोई भी जानकारी साझेदार को प्रदान करने का प्रयास कर सकती है। ऐसी जानकारी कंपनी द्वारा इसकी सटीकता या पूर्णता या अन्यथा की वारंटी के बिना प्रदान की जाती है। कंपनी के पास ऐसे मामलों में कोई विशेष विशेषज्ञता नहीं है। भागीदार किसी पट्टे, उप-पट्टे या अन्य दायित्व पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि भागीदार को परिसर और पट्टे या उप-पट्टे के लिए कंपनी की मंजूरी लिखित रूप में नहीं मिल जाती है। यदि कंपनी ने दस दिनों के भीतर भागीदार को सूचित नहीं किया है तो मंजूरी दे दी गई मानी जाएगी।) कंपनी को भागीदार से प्रस्तावित पट्टे या उप-पट्टे की एक प्रति और प्रस्तावित परिसर के बारे में ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त होने के बाद के व्यावसायिक दिन, जिसकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है। कंपनी द्वारा परिसर या पट्टे या उप-पट्टे की मंजूरी कंपनी द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं है कि परिसर अच्छा होगा और पट्टे या उप-पट्टे की किसी भी शर्त के बारे में कोई कानूनी या अन्य राय नहीं बनती है।

3.02 विशिष्टताएँ

भागीदार का लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय केवल कंपनी के विनिर्देशों को पूरा करने वाले परिसर से संचालित होगा, जिसमें उपयुक्त कार्यालय, कांच के सामने वाले दरवाजे के साथ दुकान परिसर और गोदाम स्थान शामिल

हैं। पार्टनर समझता है और सहमत है कि, हालांकि सभी दिशा आरोग्य धाम- भारत के नंबर 1 आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय और आउटलेट एक सुसंगत थीम का पालन करेंगे, स्थान की आवश्यकताओं और समुदाय की अनूठी विशेषताओं के आधार पर, उनके डिजाइन का विवरण कई मामलों में भिन्न होगा।

3.03 परिसर का स्वरूप

पार्टनर स्वीकार करता है कि प्रत्येक दिशा आरोग्य धाम आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में समान सजावट, रंग योजनाएं और ले-आउट की आवश्यकता होगी। भागीदार कंपनी के व्यक्तिपरक मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए सहमत है कि परिसर को कंपनी के मानकों के अनुरूप कैसे रखा जाएगा। भागीदार इस अनुबंध की अवधि के दौरान कंपनी के मानकों के अनुसार परिसर के रखरखाव के लिए भागीदार की एकमात्र लागत और खर्च पर सहमत है, जिसमें उपकरण, डिस्प्ले, फिक्स्चर और आंतरिक और बाहरी सजावट शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

अनुच्छेद 4. साझेदार का दायरा

4.01 मुख्य सड़क पर मासिक किराये सहित अच्छे फ्रंटेज (1000+ या 1500+ वर्ग फीट) के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित स्थान प्रदान करें।

- 4.02 सहमत निवेश राशि
- 4.03 मासिक बिजली बिल
- 4.04 नगर निगम व्यय (यदि कोई हो)
- 4.05 जल बिल (यदि कोई हो)
- 4.06 कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण व्यय
- 4.07 कर्मचारियों की तनखाह

अनुच्छेद 5. कंपनी का दायरा (दिशा आरोग्य धाम)

- 5.01 आंतरिक एवं बाहरी सजावट
- 5.02 जनशक्ति (Man power)
- 5.03 उत्पाद (आयुर्वेद फार्मसी + आयुर्वेद क्लिनिक + प्राकृतिक चिकित्सालय + न्यूरो क्लिनिक + माइग्रेन क्लिनिक + वेलनेस सेंटर + लैब + एक्सरे + योग + आदि सहित 400 + उत्पाद श्रृंखला)
- 5.04 डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, नेचुरोथेपिस्ट, योग प्रशिक्षक, लैब तकनीशियन - योजना के अनुसार
- 5.05 ब्रांडिंग, विज्ञापन
- 5.06 एचएमएस सॉफ्टवेयर
- 5.07 डिलिवरी सेवाएँ
- 5.08 फार्मासिस्ट
- 5.09 क्लिनिक स्थापना लाइसेंस
- 5.010 POS
- 5.011 कैमरा आदि।

अनुच्छेद 6. लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय का संचालन

6.01 स्वतंत्र अनुबन्ध

साझेदार की भूमिका मासिक बिजली बिल के साथ जगह उपलब्ध कराना है, बाकी सब कुछ एक स्वतंत्र अनुबन्ध के रूप में दिशा आरोग्य धाम द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

6.02 खुदरा कीमतें

सभी मूल्य निर्धारण और हर प्रकार का निर्णय दिशा आरोग्य धाम द्वारा किया जाएगा।

6.03 साझेदार व्यवसाय संचालन

संचालन दिशा आरोग्य धाम द्वारा किया जाएगा

अनुच्छेद 7. समझौते की अवधि

7.01 यह समझौता इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लागू होगा और इस तिथि के बाद 5 वर्षों तक जारी रहेगा। इस समझौते को दोनों पक्षों के आपसी समझौते पर बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि भागीदार द्वारा दिशा आरोग्य धाम के उत्पादों और सेवाओं के लिए नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करके समझौते के अनुसार पहले समाप्त न किया जाए। नवीकरण शुल्क: समान भागीदार अनुबंध राशि का भुगतान करके इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

7.02 दिशा आरोग्य धाम के पास दोनों की आपसी सहमति से किसी भी समय समझौते में उल्लिखित भागीदार और दिशा आरोग्य धाम (कंपनी) के बीच दरों (कोई भी), प्रतिशत, भुगतान या क्षेत्र विशिष्टता शर्तों आदि को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

अनुच्छेद 8. समाप्ति

डी.ए.डी. आयुर्वेद- आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, दिशा आरोग्य धाम समूह का एक प्रभाग, कंपनी द्वारा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, तीस (30) दिनों की पूर्व लिखित सूचना देकर, तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निम्नलिखित में से एक या अधिक का घटित होता है तो --

(क) यदि "साझेदार" द्वारा इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है दिशा आरोग्य धाम की अपेक्षाओं के अनुरूप हमें सहायता प्रदान करने में साझेदार की विफलता, जब भी पार्टनर मासिक किराया (यदि लागू हो) और बिजली बिल का भुगतान करने में विफल रहता है।

(ख) जब भी भागीदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिशा आरोग्य धाम- आयुर्वेदा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय के नाम और शैली के तहत किसी भी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों' या आचरण में शामिल होता है (यह कंपनी द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कंपनी द्वारा उस क्षेत्र से बिना किसी नाम के प्राप्त की गई कोई शिकायत भी हो सकती है, यह कंपनी द्वारा समझौते को रद्द करने या समाप्त करने या निलंबित करने के लिए पर्याप्त है और भागीदार द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोक दिया जायेगा।

नोट: किसी भी मामले में यदि साझेदार बिना किसी वास्तविक कारण के और संतोषजनक भुगतान के बावजूद 5 साल के भीतर समझौता तोड़ना चाहता है, तो प्रतिबद्ध परिणाम दिए जा रहे हैं। कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा, ऐसा दो कारणों से है - पहला दिशा आरोग्य धाम एक नया दिशा आरोग्य धाम क्लिनिक शुरू नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे दूसरों के मन में गलत छवि बनेगी कि यह मौजूदा स्थान पर क्यों बंद हो गया, दूसरा कारण यह है कि दिशा आरोग्य धाम पार्टनर को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी विरासत, ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता है और बाद में जब ग्राहक आने लगें तो अपना खुद का ब्रांड शुरू करें!

अनुच्छेद 9: विवाद, समाधान एवं क्षेत्राधिकार

1. इस समझौते या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या दावे का निपटारा (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।
2. मध्यस्थ न्यायाधिकरण तीन मध्यस्थों से बना होगा, एक मध्यस्थ दिशा आरोग्य धाम समूह द्वारा नियुक्त किया जाएगा, दूसरा मध्यस्थ "साझेदार" द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीसरा मध्यस्थ ऐसे मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
3. मध्यस्थता का स्थान जयपुर में होगा और कोई भी निर्णय चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, दिया जाएगा, और पार्टियों के बीच सभी उद्देश्यों के लिए समझा जाएगा, मध्यस्थता प्रक्रिया हिन्दी भाषा में आयोजित की जाएगी और कोई भी निर्णय हिन्दी में प्रदान किये जायेंगे। मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून के अन्तर्गत होगा।
4. मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम, निर्णायक और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा, और (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
5. इस खंड में मध्यस्थता समझौते सहित, इस खंड के तहत या इसके अनुसरण में पार्टियों के अधिकार और दायित्व, भारतीय कानून द्वारा शासित और उसके अधीन होंगे, और समझौता अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

साझेदार अनुबंध कोड-

यह समझौता यहां निर्धारित तिथि पर दो (2) प्रतियों में निष्पादित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पक्ष ने एक-एक प्रति ले ली है।

दिशा आरोग्य धाम	डी.ए.डी. आयुर्वेदा	के लिए
(कंपनी)		(साथी)
हस्ताक्षर:		हस्ताक्षर:
गवाह (1)		गवाह(2)
हस्ताक्षर:		हस्ताक्षर:
नाम:		नाम:
पता:		पता: